

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

139656-688

क्रमांक : एफ11(2)(15)मो./रा.क.ग./मो. /13/

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

जयपुर, दिनांक :
18.10.16

विषय:- राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 (संदर्भित दिनांक 31.03.2014)
एवं संख्या -77 (संदर्भित दिनांक 31.03.2015)

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 99519-551 दिनांक 28.07.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्राप्त राज्य कर्मचारी गणना के निर्धारित संशोधित प्रपत्रों की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर निर्धारित प्रपत्रों में सूचना 31.08.2016 तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन उक्त सूचना आदिनांक तक अपेक्षित है।

अतः इस संदर्भ में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना निर्धारित संशोधित प्रपत्रों में तैयार कर विभागीय ई-मेल jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर दिनांक 28.10.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिमा

संयुक्त निदेशक(मो.)

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक: 18.10.16

क्रमांक : एफ11(2)(15)मो./रा.क.ग./मो. /13/

प्रतिलिपि:-

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी राजस्थान को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना निर्धारित संशोधित प्रपत्रों में उप निदेशक कार्यालय को दिनांक 25.10.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

सहायक
सहायक निदेशक(मो.)

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर